प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599 /प्रोबेशन-3-फार्म- ए/ (एम-07-07-2021) दिनांक-12-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, जो शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बंदी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21-05-2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मार दी एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला, जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-15/2002 में धारा-3(1) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2020 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 19 वर्ष 03 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-मुरादाबाद एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुरादाबाद ने बन्दी द्वारा बदले की भावना से पुन: अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 21-05-2001 को 11 बीघा जमीन को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मार दी एवं चाकुओं से बुरी तरह काट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आसिफ उर्फ कलवा (बन्दी संख्या-16232) पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2021/1369(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-164/2021/1369/22-2-2021-17(161)/2016

दिनांक 08 सितम्बर, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम, जो शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। 11 बीघा जमीन को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बंदी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21-05-2001 को प्रात: लगभग 10:00 बजे बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मार दी एवं चाकुओं से बुरी तरह काट डाला, जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-15/2002 में धारा-3(1) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2019 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2020 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 19 वर्ष 03 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-मुरादाबाद एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुरादाबाद ने बन्दी द्वारा बदले की भावना से पुन: अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 21-05-2001 को 11 बीघा जमीन को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बस से कोर्ट जा रहे मुबारक, मेंहदी हसन, सराफत हुसैन को तमंचों से गोली मार दी एवं चाकुओं से बुरी तरह काट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आसिफ उर्फ कलवा पुत्र श्री इब्राहिम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।